



कार्यालय

मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक
छिंदवाड़ा वनवृत्त, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश – 480001

Email-cfchhindwara@mpforest.org

Tel./Fax No.07162-245470

क्रमांक/मा.चि./ 7208
प्रति,

छिंदवाड़ा, दिनांक

26 DEC 2022

वनमंडलाधिकारी,
पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल
छिंदवाड़ा

विषय:- नवेगावं धानाउमरी मुख्य मार्ग से टेकापार मार्ग लंबाई 2.40 कि०मी० एक रेखण मे आने वाली वन भूमि मे मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित एरिया 1.69 हे.निर्माण कार्य वनक्षेत्र मे करने हेतु अनुमति प्राप्त करने बाबत प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/Road/144191/2021


संदर्भ:- आपका कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2630 दिनांक 30.11.2022

—000—

विषयान्तर्गत प्रकरण नवेगावं धानाउमरी मुख्यमार्ग से टेकापार मार्ग लंबाई 2.40 कि०मी० के निर्माण हेतु प्रस्तावित एरिया 1.68 हे. आवेदक लोक निर्माण विभाग(भ/स) संभाग छिंदवाड़ा का वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रकरण का पंजीयन क्रमांक FP/MP/Road/144191/2021 पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल अंतर्गत का वन भूमि व्यपवर्तन से संबंधित है। प्रकरण मे भाग-3 अपलोड होना है। भाग-3 मे वनमंडलाधिकारी द्वारा भरे गये भाग-2 से सहमति देने से पूर्व निम्न बिंदुओं पर जानकारी प्रस्तुत करें:-

1. आपके द्वारा वनमंडलाधिकारी के स्थल निरीक्षण रिपोर्ट मे पेंच टाईगर रिजर्व से दूरी 81 कि.मी. सतपुड़ा टाईगर रिजर्व से दूरी 41 कि.मी. दर्शायी है किंतु आपके द्वारा यह उल्लेख नहीं किया गया है कि क्या प्रस्तावित एरिया पेंच-सतपुड़ा टाईगर रिजर्व कारीडोर अंतर्गत आता है अथवा नहीं। प्रकरण मे प्रस्तावित एरिया कारीडोर मे आता है तो दर्शाये यदि नहीं आता है तो कारीडोर से कितनी दूरी पर है उल्लेख करें।
2. प्रस्तावित एरिया पर आवेदक विभाग द्वारा कार्य तो शुरू नहीं किया गया है। अपना प्रतिवेदन दें।
3. क्या प्रस्तावित पूर्ण रोड मे वन क्षेत्र के अलावा वन क्षेत्र के बाहर छोटे-बड़े झाड़ के जंगल मद की राजस्व भूमि तो प्रभावित नहीं हो रही है। इस संबंध मे क्या राजस्व विभाग से अनापत्ति प्राप्त की गयी है। स्पष्ट करें।
4. वनमंडलाधिकारी के स्थल निरीक्षण टीप के बिंदु क्रमांक 15 मे वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु भूमि की जानकारी मे आपके द्वारा Not required लिखा है, जबकि प्रकरण मे वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु जमीन दी जाकर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तकनीकी स्वीकृति जारी कर भेजी गयी है। विरोधाभासी जानकारी का कारण स्पष्ट करें।
5. वनमंडलाधिकारी के स्थल निरीक्षण टीप के बिंदु क्रमांक 20 मे प्रस्तावित एरिया का Alternate आवेदक विभाग से क्यों नहीं ढुंढवाया गया।
6. प्रपत्र भाग-2 के District Profile मे वर्तमान अद्यतन जानकारी भरना सुनिश्चित करें।

7. प्रकरण मे भारत शासन के पत्र क्रमांक 6-MPB 010/2022-BHO दिनांक 26.04.22 के बिंदु क्रमांक 2 मे ली गयी आपत्ति की प्रस्ताव मे CWLW मध्यप्रदेश का प्रतिवेदन प्राप्त कर संलग्न करना सुनिश्चित करें।
8. प्रकरण मे भारत शासन के पत्र क्रमांक 6-MPB 010/2022-BHO दिनांक 26.04.22 के बिंदु क्रमांक 6 के तारतम्य मे चाहे गये अनापत्ति प्रमाण पत्र रेल्वे विभाग का संलग्न नही किया गया है।
9. प्रकरण मे भारत शासन के पत्र क्रमांक 6-MPB 010/2022-BHO दिनांक 26.04.22 के बिंदु क्रमांक 12 के तारतम्य मे प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
- उपरोक्तानुसार जानकारी शीघ्र प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण मे अग्रिम कार्यवाही की जा सके।


वनसंरक्षक
छिंदवाड़ा वनवृत्त
20/1/22 छिंदवाड़ा